सं./No. E-117261/CARA-MISC/233/2024 दिनांक/Date 18.09.2024

कार्यालय ज्ञापन
OFFICE MEMORANDUM

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण), अधिनियम 2015 (यथा संशोधित 2021) में विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) और बाल देखरेख संस्थाओं (CCI) के बीच लिंकेज का प्रावधान है। धारा 66(1) में प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी संस्थाएँ जिन्हें विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी देखरेख में सभी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चों को धारा 38 के प्रावधानों, के अनुसार समिति द्वारा रिपोर्ट किया जाए, प्रस्तुत किया जाए और विधिक रूप से दत्तक-ग्रहण के लिए मुक्त घोषित किया जाए। धारा 66(2) में कहा गया है कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सभी संस्थाएँ निकटवर्ती विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) के साथ औपचारिक संबंध विकसित करेंगी और दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए गए बच्चों का ब्योरा सभी प्रासंगिक रिकॉर्डों के साथ उस विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (SAA) को प्रस्तुत करेंगी। यह ब्योरा उस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा जो बच्चे के दत्तक -ग्रहण के लिए आवश्यक है।

The Juvenile Justice (Care and Protection of Children), Act 2015 (amended in 2021) has a provision of SAA-CCI linkage. The section 66(1) stipulates that all the institutions registered under this act, which may not have been recognized as Specialized Adoption Agencies, shall also ensure that all orphan, abandoned or surrendered children under their care are reported, produced and declared legally for adoption, by the Committee as per the provisions of section 38. Section 66(2) states that all institutions referred to in sub-section (1) shall developed formal linkages with nearby Specialized Adoption Agency and shall furnish details of the children declared legally free for adoption to that Specialized Adoption Agency along with all relevant records in the manner as may be prescribed, for the placement of such children in adoption.

2. विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) और बाल देखरेख संस्थाओं (CCI) के बीच लिंकेज की विस्तृत प्रक्रिया दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 में निर्धारित की गई है। तदनुसार विभिन्न हितधारकों (Stakeholders) की भूमिका और कार्य निम्नलिखित हैं:

The detailed procedure of SAA-CCI linkage has been laid down in the Adoption Regulations 2022. Accordingly, the role and responsibilities of different stakeholders are given below:

क्र. सं. S. No.	चरण Steps	जिस जिले में SAA और CCI दोनों हैं If CCI is located in the district where SAA is also located (Same District)	जिस जिले में CCI है किंतु SAA नहीं है If CCI is not located in the district where SAA is located (NOT in same district)
A	दत्तक-ग्रहण से पूर्व का चरण **Pre-adoption Phase**		
1.	CARINGS पर CCI का पंजीकरण Registration of CCI on CARINGS	DCPU द्वारा by DCPU	DCPU द्वारा by DCPU
2.	CCI को SAA से लिंक करना Linking of CCI with SAA	DCPU द्वारा by DCPU	SARA द्वारा by SARA
3.	बच्चों का पंजीकरण (फोटो सहित) Registration of children (with photo)	SAA के बच्चों का पंजीकरण SAA करेगा SAA will register children of SAA CCI के बच्चों का पंजीकरण DCPU करेगा DCPU will register children of CCI	सभी CCI के बच्चों का पंजीकरण उस जिले का DCPU करेगा जहाँ CCI स्थित है Children of CCI will be registered by DCPU of concerned district where CCI is located
4.	बाल अध्ययन रिपोर्ट (CSR) [अनुसूची-II], चिकित्सा जाँच रिपोर्ट (MER) [अनुसूची-III] को तैयार करना और बाल कल्याण समिति (CWC) के साथ LFA की प्रक्रिया की शुरुआत Preparation of CSR [Schedule-II], MER [Schedule-III] and initiation of LFA process with CWC	SAA दस्तावेज तैयार करेगा तथा SAA और CCI दोनों के बच्चों के लिए LFA की प्रक्रिया शुरू करेगा। *[विनियम 61 (5)(a)]* SAA will prepare documents and initiate LFA process for children of SAA & CCI both *[Regulation 61 (5)(a)]*	CCI के बच्चों के दस्तावेज तैयार करने और उनके LFA की प्रक्रिया शुरू करने का कार्य उस जिले के DCPU द्वारा किया जाएगा, जहाँ CCI स्थित है *[विनियम 61 (6) (a)]* Documents of children of CCIs will be prepared and their LFA process will be initiated by DCPU of concerned district where CCI is located. *[Regulation 61 (6)(a)]*
5.	बच्चे की फोटो के साथ बाल अध्ययन रिपोर्ट (CSR) [अनुसूची-II], चिकित्सा जाँच रिपोर्ट (MER) [अनुसूची-III], LFA प्रमाणपत्र [अनुसूची-I] को CARINGS पर अपलोड करना Uploading of CSR (Schedule-II), MER (Schedule-III), LFA certificate (Schedule-I) along with photograph of child on CARINGS	SAA और CCI दोनों के बच्चों के दस्तावेज और फोटो SAA द्वारा अपलोड किए जाएँगे। *[विनियम 61 (5) (b)]* SAA will upload the documents & photo of children of SAA & CCI both *[Regulation 61 (5)(b)]*	CCI के बच्चों के दस्तावेज और फोटो उस जिले के DCPU द्वारा अपलोड किए जाएँगे, जहाँ CCI स्थित है *[विनियम 61 (6)(b)]* The documents & photo of children of CCI will be uploaded by DCPU of concerned district where CCI is located. *[Regulation 61 (6)(b)]*
6.	यदि बच्चे को विशेष आवश्यकताएँ हैं, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) द्वारा वर्गीकरण If child is having special needs, the classification by CMO	SAA और CCI के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मामले वर्गीकरण के लिए उस जिले के CMO को भेजे जाएँगे, जहां SAA स्थित है। The cases of SN children of SAA & CCI forwarded to CMO of district for classification, where SAA is located	CCI के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मामले वर्गीकरण के लिए उस जिले के CMO को भेजे जाएँगे, जहाँ CCI स्थित है। The cases of SN children of CCIs forwarded to CMO of district for classification, where CCI is located
B	**दत्तक-ग्रहण का चरण** **Adoption Phase**		
7.	बच्चे का रेफरल Referral of the child	SAA पोर्टल के माध्यम से Through SAA portal SAA और CCI, दोनों के बच्चों के लिए लिंक किए गए SAA द्वारा दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया चलाई जाएगी। *[विनियम 61 (6) (c)]*	SAA पोर्टल के माध्यम से Through SAA portal, CCI के बच्चों के लिए लिंक किए गए SAA द्वारा दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया चलाई जाएगी। *[विनियम 61 (6)(c)]*

क्र. सं. S. No.	चरण Steps	जिस जिले में SAA और CCI दोनों हैं If CCI is located in the district where SAA is also located (Same District)	जिस जिले में CCI है किंतु SAA नहीं है If CCI is not located in the district where SAA is located (NOT in same district)
		Adoption process to be carried out by linked SAA for children of SAA & CCI both. *[Regulation 61 (6)(c)]*	Adoption process to be carried out by linked SAA for children of CCI. *[Regulation 61 (6)(c)]*
8.	7 दिन (7 days) विशेष आवश्यकताएँ (Special Needs), तत्काल प्लेसमेंट (IP) के टैब से बच्चे का सीधा आरक्षण Direct reservation of the child from the tabs of 7 day, Special Needs, Immediate Placement	SAA और CCI दोनों के बच्चों के लिए लिंक किए गए SAA द्वारा दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया चलाई जाएगी। *[विनियम 61 (6) (c)]* Adoption process to be carried out by linked SAA for children of SAA & CCI both. *[Regulation 61 (6)(c)]*	CCI के बच्चों के लिए लिंक किए गए SAA द्वारा दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया चलाई जाएगी। *[विनियम 61 (6)(c)]* Adoption process to be carried out by linked SAA for children of CCI. [Regulation *61 (6)(c)]*
9.	बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) का दौरा Visit of PAPs to see the child physically	PAPs द्वारा SAA या CCI का दौरा किया जाएगा PAPs will visit SAA or CCI	PAPs द्वारा CCI का दौरा किया जाएगा PAPs will visit CCI
10.	दत्तक-ग्रहण समिति के सदस्य Adoption Committee member	i. SAA की ओर से दत्तक-ग्रहण प्रभारी या सामाजिक कार्यकर्ता Adoption in-charge or social worker of SAA ii. CCI का बाल रोग विशेषज्ञ या विजिटिंग डॉक्टर Pediatrician or visiting doctor of CCI iii. जहाँ CCI स्थित है, वहाँ के DCPU का पदाधिकारी Official from DCPU where the CCI is located iv. CCI का प्रतिनिधि, यदि बच्चा SAA से लिंक है Representative of CCI, in case child is linked with SAA [विनियम 61 (8)] [Regulation 61 (8)]	i. SAA की ओर से के दत्तक ग्रहण प्रभारी या सामाजिक कार्यकर्ता Adoption in-charge or social worker of SAA ii. CCI का बाल रोग विशेषज्ञ या विजिटिंग डॉक्टर Pediatrician or visiting doctor of CCI iii. जहाँ CCI स्थित है, वहाँ के DCPU का पदाधिकारी Official from DCPU where the CCI is located iv. CCI का प्रतिनिधि, यदि बच्चा SAA से लिंक है Representative of CCI, in case child is linked with SAA *[विनियम 61 (8)]* [Regulation 61 (8)]
11.	दत्तक-ग्रहण समिति (ACM) की बैठक, मिलान और कार्यवृत्त Meeting, Matching and Minutes of ACM	i. SAA, PAPs के साथ मिलान के लिए बैठक तय करेगा। दत्तक-ग्रहण समिति बैठक के मिनट तैयार करेगी (अनुसूची XXVII) । [विनियम 11 (4)] SAA shall fix appointment with PAPs for matching. Adoption Committee shall prepare minutes of the meeting (Schedule XXVII). [Regulation 11 (4)] ii. दत्तक-ग्रहण समिति अपेक्षित दस्तावेजों की जाँच करेगी *[विनियम 11 (6)]* Adoption Committee shall scrutinise the requisite documents [Regulation 11 (6)]	i. SAA, PAPs के साथ मिलान के लिए बैठक तय करेगा। दत्तक-ग्रहण समिति बैठक के मिनट तैयार करेगी (अनुसूची XXVII)। [विनियम 11 (4)] SAA shall fix appointment with PAPs for matching. Adoption Committee shall prepare minutes of the meeting (Schedule XXVII). [Regulation 11 (4)] ii. दत्तक-ग्रहण समिति अपेक्षित दस्तावेजों की जाँच करेगी *[विनियम 11 (6)]* Adoption Committee shall scrutinise the requisite documents *[Regulation 11 (6)]*

क्र. सं. S. No.	चरण Steps	जिस जिले में SAA और CCI दोनों हैं If CCI is located in the district where SAA is also located (Same District)	जिस जिले में CCI है किंतु SAA नहीं है If CCI is not located in the district where SAA is located (NOT in same district)
		iii. SAA, बच्चे के साथ भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) की बैठक आयोजित करेगा। [विनियम 11 (7)] SAA shall organise a meeting of PAPs with child *[Regulation 11 (7)]*	iii. SAA, बच्चों के साथ भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) की बैठक आयोजित करेगा। [विनियम 11 (7)] SAA shall organise a meeting of PAPs with child *[Regulation 11 (7)]*
		iv. मिलान के समय, संबंधित SAA का सामाजिक कार्यकर्ता PAPs को आवश्यक जानकारी देगा *[विनियम 11 (8)]* At the time of matching, social worker of SAA concerned shall orient PAPs *[Regulation 11 (8)]*	iv. मिलान के समय, संबंधित SAA का सामाजिक कार्यकर्ता PAPs को आवश्यक जानकारी देगा *[विनियम 11 (8)]* At the time of matching, social worker of SAA concerned shall orient PAPs *[Regulation 11 (8)]*
		v. मिलान की संपूर्ण प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। *[विनियमन 11 (9)]* Entire process of matching shall be completed within 30 days. *[Regulation 11 (9)]*	v. मिलान की संपूर्ण प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। *[विनियम 11 (9)]* Entire process of matching shall be completed within 30 days. *[Regulation 11 (9)]*
		vi. बच्चे को स्वीकार करते समय, PAPs द्वारा SAA के सामाजिक कार्यकर्ता या मुख्य पदाधिकारी की उपस्थिति में CSR, MER पर हस्ताक्षर किए जाएँगे *[विनियम 11 (11)]* While accepting the child, PAPs shall sign CSR, MER in the presence of social worker or chief functionary of SAA *[Regulation 11 (11)]*	vi. बच्चे को स्वीकार करते समय, PAPs द्वारा SAA के सामाजिक कार्यकर्ता या मुख्य पदाधिकारी की उपस्थिति में CSR, MER पर हस्ताक्षर किए जाएँगे *[विनियम 11 (11)]* While accepting the child, PAPs shall sign CSR, MER in the presence of social worker or chief functionary of SAA *[Regulation 11 (11)]*
		vii. यदि दत्तक-ग्रहण समिति द्वारा PAPs का चयन नहीं किया जाता है, तो इसका कारण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। *[विनियम 11 (12)]* In case the PAPs are not selected by Adoption Committee, the reason shall be recorded on portal *[Regulation 11 (12)]*	vii. यदि दत्तक-ग्रहण समिति द्वारा PAPs का चयन नहीं किया जाता है, तो इसका कारण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। *[विनियम 11 (12)]* In case the PAPs are not selected by Adoption Committee, the reason shall be recorded on portal *[Regulation 11 (12)]*
12.	दत्तक-ग्रहण पूर्व पोषण देखरेख (PAFC) Pre-adoption Foster Care (PAFC)	i. दत्तक-ग्रहण पूर्व पोषण देखरेख (PAFC) की वचनबद्धता पर हस्ताक्षर करने के बाद, बच्चे को PAPs द्वारा PAFC में लिया जाएगा। *[विनियम 12 (1)]* Child shall be taken in PAFC by PAPs, after signing the PAFC undertaking *[Regulation 12 (1)]*	i. दत्तक-ग्रहण पूर्व पोषण देखरेख (PAFC) की वचनबद्धता पर हस्ताक्षर करने के बाद, बच्चे को PAPs द्वारा PAFC में लिया जाएगा। *[विनियम 12 (1)]* Child shall be taken in PAFC by PAPs, after signing the PAFC undertaking [Regulation 12 (1)]
		ii. PAPs द्वारा SAA को मूल या नोटरीकृत या स्व-सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएँगे *[विनियम 12 (2)]* PAPs shall provide original or notarized or self-attested documents to SAA *[Regulation 12 (2)]*	ii. PAPs द्वारा SAA को मूल या नोटरीकृत या स्व-सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएँगे *[विनियम 12 (2)]* PAPs shall provide original or notarized or self-attested documents to SAA *[Regulation 12 (2)]*

क्र. सं. S. No.	चरण Steps	जिस जिले में SAA और CCI दोनों हैं If CCI is located in the district where SAA is also located (Same District)	जिस जिले में CCI है किंतु SAA नहीं है If CCI is not located in the district where SAA is located (NOT in same district)
13.	CARINGS पर दत्तकग्रहण-की प्रक्रिया का पूरा अद्यतन Complete updation of adoption process on CARINGS	SAA द्वारा by SAA	SAA द्वारा by SAA
C	**दत्तक-ग्रहण के बाद का चरण** **Post-adoption Phase**		
14.	दत्तक-ग्रहण आदेश के लिए आवेदन दाखिल करना Filing of Adoption Order Application	**देश के भीतर(In-country)** PAFC के बाद After PAFC **अंतर-देशीय (Inter-country)** अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी होने के बाद After issuance of NOC SAA, DCPU के माध्यम से उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को आवेदन करेगा जहाँ बच्चा स्थित है (यदि लागू हो तो CCI सह-आवेदक होगी) *[विनियम 13 (1), 13 (3) और 61 (9)]* SAA shall file an application with DM of the district through DCPU where the child is located (CCI shall be co-applicant, if applicable) *[Regulation 13 (1), 13(3) & 61 (9)]*	**देश के भीतर(In-country)** PAFC के बाद After PAFC **अंतर-देशीय (Inter-country)** अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी होने के बाद After issuance of NOC SAA, DCPU के माध्यम से उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को आवेदन करेगा जहाँ बच्चा स्थित है (यदि लागू हो तो CCI सह-आवेदक होगी) *[विनियम 13 (1), 13 (3) और 61 (9)]* SAA shall file an application with DM of the district through DCPU where the child is located (CCI shall be co-applicant, if applicable) *[Regulation 13 (1), 13(3) & 61 (9)]*
15.	दत्तक-ग्रहण आदेश Adoption Order	i. दत्तक-ग्रहण आदेश उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट (DM) द्वारा जारी किया जाएगा जहाँ बच्चा स्थित है Adoption order to be issued by DM of district where child is located ii. SAA, DCPU के माध्यम से DM से दत्तक-ग्रहण के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगा और इसे PAPs को भेजेगा और पोर्टल पर अपलोड करेगा। *[विनियम 13 (8)]* SAA shall obtain certified copy of adoption order from DM through DCPU and forward it to PAPs and shall upload it on portal *[Regulation 13 (8)]*	i. दत्तक-ग्रहण आदेश उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट (DM) द्वारा जारी किया जाएगा जहाँ बच्चा स्थित है Adoption order to be issued by DM of district where child is located ii. DCPU, DM से दत्तक-ग्रहण के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगा और इसे PAPs, CCI, SAA को प्रदान करेगा और पोर्टल पर अपलोड करेगा। *[विनियम 61 (12)]* District Child Protection Unit (DCPU) shall obtain a certified copy of adoption order from DM and furnish it to PAPs, CCI, SAA and upload it on portal *[Regulation 61 (12)]*
16.	जन्म प्रमाण-पत्र Birth Certificate	SAA जन्म प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करेगा (उस जिले में जहाँ बच्चा स्थित है) *[विनियम 13 (9)]* SAA shall apply for birth certificate *(in the concerned district where child is located) [Regulation 13 (9)]* SAA जन्म प्रमाण-पत्र अपलोड करेगा Birth certificate uploaded by SAA	SAA जन्म प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करेगा (उस जिले में जहाँ बच्चा स्थित है) *[विनियम 13 (9)]* SAA shall apply for birth certificate *(in the concerned district where child is located) [Regulation 13 (9)]* SAA जन्म-प्रमाण पत्र अपलोड करेगा Birth certificate uploaded by SAA
17	दत्तक-ग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई Post adoption follow-up	SAA या DCPU जिसने गृह अध्ययन रिपोर्ट (HSR) तैयार की थी *[विनियम 14 (1) और (3)]* SAA or DCPU who has conducted the HSR *[Regulation 14 (1) and (3)]*	SAA या DCPU जिसने गृह अध्ययन रिपोर्ट (HSR) तैयार की थी *[विनियम 14 (1) और (3)]* SAA or DCPU who has conducted the HSR *[Regulation 14 (1) and (3)]*

क्र. सं. S. No.	चरण Steps	जिस जिले में SAA और CCI दोनों हैं If CCI is located in the district where SAA is also located (Same District)	जिस जिले में CCI है किंतु SAA नहीं है If CCI is not located in the district where SAA is located (NOT in same district)
18.	दत्तक-ग्रहण का शुल्क Adoption fee	दत्तक-ग्रहण शुल्क SAA और CCI के बीच बाँटा जाएगा। *[विनियम 61(11)] अनुसूची- XV (बिंदु 10)* Adoption fee shall be shared between SAA and CCI *[Regulation 61(11)] Schedule- XV (point 10)*	दत्तक-ग्रहण शुल्क SAA और CCI के बीच बाँटा जाएगा। *[विनियम 61(11)] अनुसूची- XV (बिंदु 10)* Adoption fee shall be shared between SAA and CCI *[Regulation 61(11)] Schedule- XV (point 10)*

3. यदि CARINGS पोर्टल पर कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे CARA के संज्ञान में लाएँ तथा स्क्रीनशॉट के साथ ई-मेल carahdesk.wcd@nic.in पर भेजें।

If any technical issue arises on CARINGS portal, the same may be brought into the notice of CARA through email with screenshot to carahdesk.wcd@nic.in.

(डॉ. जगन्नाथ पति)
(Dr. Jagannath Pati)
निदेशक (कार्यक्रम)
Director (Programme)

डॉ. जगन्नाथ पति / Dr. Jagannath Pati
निदेशक (कार्यक्रम), CARA / Director (Programme)
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

All SARAs, CWCs, DCPUs, SAAs, CCIs

Copy to :

1. Joint Director
2. All Deputy Directors/IFO
3. All Assistant Directors & equivalent rank officers